

2.)

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम—जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पवाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मो० मार्ग निर्माण लम्बाई 7.5 किमी०

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्तावै
/परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
- ख) 1:50,000 रक्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
- ग) परियोजना की लागत।
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:
- | | |
|-----------------|------------|
| आपेक्षित वनभूमि | 2.79 है० |
| राज्य वनभूमि | 3.150 है० |
| वन पंचायत भूमि | 0.000 है० |
| योग | 5. 940 है० |
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
- (हाँ/ नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड चर्चाप्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
- नहीं
- नहीं
- नहीं
- संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा।
- संलग्न है।

Er. B. C. Pant

प्रयोक्ता एजेन्सी के इकाइकरण नाम मोहर
लम्बाई 7.5 कि०, लौ०नि०वि०

वैदीवाय (पिथौरागढ़)

दिनांक..... स्थान बेरीनाग
सहायक अधिकारी
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

भाग-२ (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पवाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मो० मार्ग

(i) राज्य/ संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला — लिखो ८१५

(iii) जिला वन प्रभाग लिखो ८१६

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र आरक्षि॒ छिक्कित्, वन् भूमि

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः आरक्षि॒ छिक्कित्, वन् भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: टोक्कन है

(i) वन का प्रकार आरक्षि॒ छिक्कित्, वन् भूमि

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.२

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामा टोक्कन है

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा टोक्कन है

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी वृक्षालृक्षीय वनस्पति नहीं

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: ०.२५० K.M.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा: टोक्कन है

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा टोक्कन, इलै, वन्डू आपि

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडॉर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) टोक्की

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) टोक्की

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) टोक्की

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे टोक्कन

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) टोक्कन

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। टोक्की टोक्की

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। टोक्की टोक्की

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं) ✓

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : नहीं

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति। फिल्टर के जूरी

(ii) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। नहीं

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीय वन सीमाएं संलग्न हैं। नहीं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। नहीं

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹ 225.20 = 10

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। नहीं

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। नहीं

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों नहीं

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवरिथित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। नहीं

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। हां

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों प्रस्ताव नहीं दर्शाते हैं, इनकी स्वीकृति अनुचित है। इनकी विवरण विवरण नहीं। इनका उत्तर नहीं।

स्थान: पिलोटा 6

तारीख: 15-6-2017

द्वारा दी गई जानकारी
वन संरक्षक द्वारा दी गई जानकारी
वन संरक्षक द्वारा दी गई जानकारी

हस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी
पिलोटा 6 वन संरक्षक
शासकीय मुद्रा